दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 21 के संदर्भ में नारियल विकास बोर्ड द्वारा गठित 'समान अवसर नीति'

(क) नारियल विकास बोर्ड कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्थापित सांविधिक निकाय है जो एक समावेशी कार्यस्थल और कार्य संस्कृति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जहाँ सभी अधिकारियों के साथ सम्मान एवं गरिमा के साथ व्यवहार किया जाता है।

(ख) बोर्ड इसके अलावा, काम का ऐसा माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति किसी भी भेदभाव से मुक्त हो। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि केवल दिव्यांगता के कारण दिव्यांग व्यक्तियों को किसी अवसर से वंचित नहीं किया जाता है।

(ग) बोर्ड दिव्यांग व्यक्तियों को आसान एवं बाधा मुक्त पहुँच प्रदान करने के लिए अपने भौतिक अवसंरचना के लिए आवश्यक संशोधन करेगा। उन के लिए आवश्यक सहायक उपकरण जैसे व्हील चेयर आदि प्रदान किया जाएगा।

(घ) लोकोमोटर दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए एक बायोमेट्रिक हाज़िरी मशीन को नीचे रखा गया है।

(ङ) बोर्ड बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को पात्र आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्यालय ज्ञापन सं.36035/02/2017-स्थापना(आरईएस), दिनांक 15.01.2018 के संदर्भ में आरक्षण रोस्टर उचित रीति से बनाया रखता है।

(च) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उचित पहचाने गए पदों की सूचि अनुबंध 1 में दिया गया है।

(छ) यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि दिव्यांग व्यक्तियों को भर्ती के बाद और पूर्व आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे बोर्ड में अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का प्रभावी ढेग से निर्वहन कर सकें।

(ज) दिव्यांग व्यक्तियों को स्थानांतरण तथा तैनाती में प्राथमिकता दी जाती है।

(झ) 8 दिनों की साधारण आकस्मिक छुट्टी के अलावा दिव्यांग व्यक्तियों को अपनी दिव्यांगता से संबंधित विशेष आवश्यकताओं के लिए एक कलेंडर वर्ष में 4 दिनों की विशेष आकस्मिक छुट्टी दी जाती है। इसके अलावा उन्हें मासिक परिवहन भत्ता सामान्य दर से दुगुना दिया जाता है।

(ञ) सचिव, नारियल विकास बोर्ड को दिव्यांग व्यक्तियों की नियुक्ति पर ध्यान रखने के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ट) बोर्ड दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 22 के अनुसरण में एक रजिस्टर भी बनाए रखता है। इसमें ब्यौरे जैसे नारियल विकास बोर्ड में कार्यरत दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या, उनका नाम, लिंग एवं पता, उनकी दिव्यांगता की प्रकृति, उनके द्वारा प्रदत्त कार्य की प्रकृति और उनको प्रदान की जा रही सुविधाएं शामिल है।

(ठ) अधिनियम की धारा 23 के अनुसार श्रीमती दीप्ति नायर एस, उप निदेशक (विपणन) को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा एक शिकायत रजिस्टर उचित रीति से बनाए रखता है।

सचिव

अनुबंध 1

नारियल विकास बोर्ड में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उचित पहचाने गए पदों की सूचि

क्र.सं.	पद का नाम	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	मंजूर किए गए पदों की संख्या	के लिए उपयुक्त पहचाना गया
	वर्ग क			
1	सहायक निदेशक (विकास)	लेवल-10	8	एचडी और एलडी श्रेणियाँ
2	सहायक निदेशक (विपणन)	लेवल-10	2	एचडी और एलडी श्रेणियाँ
3	सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	लेवल-10	1	एचडी और एलडी श्रेणियाँ
4	सहायक निदेशक (निर्यात संवर्धन)	लेवल-10	1	एचडी और एलडी श्रेणियाँ
5	सहायक निदेशक (विदेश व्यापार)	लेवल-10	1	एचडी और एलडी श्रेणियाँ
6	सहायक निदेशक (राजभाषा)	लेवल-10	1	एचडी और एलडी श्रेणियाँ
7	सहायक निदेशक (प्रौद्योगिकी)	लेवल-10	1	एचडी और एलडी श्रेणियाँ
	वर्ग ख			
8	लेखा अधिकारी	लेवल-7	2	एचडी और एलडी श्रेणियाँ
9	उप संपादक	लेवल-6	2	वीडी, एचडी और एलडी श्रेणियाँ
10	सहायक	लेवल-6	11	वीडी और एलडी श्रेणियाँ
11	कनिष्ठ अनुवादक	लेवल-6	1	वीडी, एचडी और एलडी श्रेणियाँ
12	आशुलिपिक ग्रेड-II	लेवल-6	5	वीडी और एलडी श्रेणियाँ
	वर्ग ग			
13	उच्च श्रेणी लिपिक	लेवल-4	16	वीडी, एचडी और एलडी श्रेणियाँ
14	कनिष्ठ आशुलिपिक	लेवल-4	7	वीडी और एलडी श्रेणियाँ
15	निम्न श्रेणी लिपिक	लेवल-2	26	वीडी, एचडी और एलडी श्रेणियाँ
16	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	लेवल-1	56	वीडी, एचडी और एलडी श्रेणियाँ

वीडी - विशुवल डिसएबिलिटी (दृश्य दिव्यांगता)

एचडी - हियरिंग डिसएबिलिटी (श्रव्य दिव्यांगता)

एलडी - लोकोमोटर डिसएबिलिटी (लोकोमोटर दिव्यांगता)

सचिव

'Equal Opportunity Policy' framed by Coconut Development Board in terms of Section 21 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016

(a) Coconut Development Board, a statutory body established under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India is committed to create an inclusive workplace and work culture in which all officials are treated with respect and dignity.

(b) The Board is, further, committed to create a work environment which is free from any discrimination against persons with disabilities. It is also ensured that no opportunity is denied to persons with disabilities merely on the ground of disability.

(c) Board will make necessary modifications to its physical infrastructure immediately for providing easy and barrier-free accessibility to persons with disabilities. Necessary assistive devices such as wheal chair etc. will be provided to them.

(d) Height of one bio-metric attendance machine has been lowered for the comfort of persons with locomotor disability.

(e) Board properly maintains a Reservation Roster in terms of Department of Personnel and Training OM No. 36035/02/2017-Estt (Res), dated 15.1.2018 for ensuring eligible reservation to persons with benchmark disabilities.

(f) The list of posts identified suitable for persons with disabilities is provided at Annexure I.

(g) It is ensured that necessary post-recruitment and pre-promotion trainings are given to persons with disabilities so that they can effectively discharge their duties and responsibilities in the Board.

(h) Persons with disabilities are given preference in transfer and posting.

(i) Apart from the 8 days' normal casual leave, persons with disabilities are granted 4 days' Special Casual Leave in a calendar year for specific requirements relating to their disability. Further, they are paid monthly transport allowance at double the normal rate.

(j) Secretary, Coconut Development Board has been appointed as the Liaison Officer for Persons with Disabilities to look after their recruitment.

(k) The Board also maintains a register in pursuance of Section 22 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. It contains the details such as no. of persons with disabilities employed in Coconut Development Board, the date from when they are employed, their name, gender and address, their nature of disability, nature of work being rendered by them and kind of facilities being provided to them.

(l) As per Section 23 of the Act, Smt. Deepthi Nair S., Dy. Director (Mktg.) has been appointed as Grievance Redressal Officer for persons with disabilities. For ensuring an effective grievance redressal mechanism, a register of complaints is properly maintained by her.

Secretary

Annexure I

List of posts identified suitable for Persons with Disabilities in Coconut Development Board

Sl. No.	Name of the post	Level in the pay matrix	No. of sanctioned posts	Identified suitable for
	Group A			
1.	Assistant Director (Development)	Level-10	8	HD & LD categories
2.	Assistant Director (Marketing)	Level-10	2	HD & LD categories
3.	Assistant Director (Statistics)	Level-10	1	HD & LD categories
4.	Assistant Director (Export Promotion)	Level-10	1	HD & LD categories
5.	Assistant Director (Foreign Trade)	Level-10	1	HD & LD categories
6.	Assistant Director (Official Language)	Level-10	1	HD & LD categories
7.	Assistant Director (Technology)	Level-10	1	HD & LD categories
	Group B			
8.	Accounts Officer	Level-7	2	HD & LD categories
9.	Sub-Editor	Level-6	2	VD, HD & LD categories
10.	Assistant	Level-6	11	VD & LD categories
11.	Jr. Translator	Level-6	1	VD, HD & LD categories
12.	Stenographer Gr. II	Level-6	5	VD & LD categories
	Group C			
13.	Upper Division Clerk	Level-4	16	VD, HD & LD categories
14.	Junior Stenographer	Level-4	7	VD & LD categories

Sl. No.	Name of the post	Level in the pay matrix	No. of sanctioned posts	Identified suitable for
15.	Lower Division Clerk	Level-2	26	VD, HD & LD categories
16.	Multi-Tasking Staff	Level-1	56	VD, HD & LD categories

VD - Visual Disability

HD - Hearing Disability

LD - Locomotor Disability

Secretary